बातचीत के बिंदु-25

मजदूर –किसान संघर्ष रैली

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

5 सितम्बर 2018

संसद के समक्ष

आवास

उत्तरी दिल्ली के समयपुर–बदली औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक एक झुग्गी बस्ती राजा विहार में, फारूख विनोद, विक्रम, विजय और छह अन्य मजदूरों के साथ एक किराए के कमरे में रहता है। कमरे का आकार 20X20 फुट है। पाँच मजदूर रात्रि शिफ्ट में काम करते हैं, इसलिए ज्यादातर एक समय पर कमरे में 4–5 मजदूर होते हैं। वे सभी फर्श पर सोते हैं, एक कोने में खाना पकाते हैं, और नहाना–धोना बाहर आंगन में करते हैं। वे सभी मिलकर 1500 रुपये का मासिक किराया देते हैं। इस किराए को साझा करने के कारण ही वे कमरे में रह पाते हैं क्योंकि उनमें से प्रत्येक केवल 6000 रुपये कमाता है जिसमें से उन्हें कम से कम 3000–4000 गाँव में अपने परिवारों के लिए भी भेजना पड़ता है।

देश की राजधानी में मजदूर कैसे रहते हैं यह इसकी एक तस्वीर है। उनके पास घर की आवश्यक बुनियादी सुविधाओं में से कोई भी नहीं है; सुरक्षित पेयजल नहीं; शौचालय नहीं; बिजली नहीं; उनकी कोई निजता (पर्देदारी) नहीं है। अपने कार्यस्थलों औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों के करीब रहने के लिए उन्हे नालीदार लोहे की छतों और बिना प्लास्टर की गयी दीवारों वाले गन्दे स्थानों को किराए पर लेते हैं।

पानी, बिजली, उचित जल निकासी और निजता (पर्देदारी) जैसी सुविधाओं के साथ एक घर आज मानव अस्तित्व की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ऐसे घर का मालिकाना हक, शहरी झुग्गियों बस्तियों में रहने वालों के साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अधिकांश मजदूरों के लिए एक सपना है जिसके कभी पूरा होने की संभावना नहीं है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 1 करोड आवासों की कमी. है। इसका मतलब यह है कि 1 करोड़ परिवार आवास के अयोग्य या किराए के आवास में रह रहे हैं। लेकिन, ये अनुमान कुल मिलाकर काफी कम है। कुछ साल पहले, सरकार के अनुमान के अनुसार 2012 में, 1.9 करोड़ घरों की कमी थी। फारूक की तरह के बहुत गरीबों को उन घरों की जरुरत है।

गरीब और जरूरतमंद लोगों को बैंक से कर्ज नहीं मिल सकता क्योंकि वे कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। हाल के वर्षों में आवास कर्जों की वृद्धि ज्यादातर मध्यम वर्ग के लिए ही है। गरीब वर्ग अभी भी झुग्गी बस्तियों में ही गुजर कर रहे हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, देश में लगभग 6.4 करोड़ लोग, या 17.4% आबादी गन्दी स्थितियों में झुग्गी–झोपड़ियों में रहती है। अक्सर औद्योगिक क्षेत्रों के पास स्थित, जहाँ प्रदूषित छोटे तालाब और औद्योगिक कचरे के तालाब होते हैं बहीं छोटे बच्चे खेलते हैं। कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई सामुदायिक हॉल नहीं, कोई परिवहन सुविधाएं नहीं हैं। अक्सर देखने में आता है कि मलेरिया, डेंगू इत्यादि

जैसी महामारी अक्सर इन वस्तियों में ही फैलती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि टीबी और अन्य बीमारियों की अधिकांश घटनाऐं इन झुग्गी–झोपड़ियों में मिलती हैं। दलित परिवारों का हिस्सा, आबादी में अपने हिस्से की तुलना में झोपड़पट्टियों में ज्यादातर पांच में से लगभग एक अनुमानित है, क्योंकि वे सबसे अधिक गरीब हैं।

जीने की इन स्थितियों में महिला मजदूरों या परिवार के सदस्यों को और भी अधिक समस्याएं आती हैं। शौचालय सुविधाओं की कमी के कारण, उन्हें असुरक्षित समुदाय शौचालयों या इससे भी बदतर आस–पास की रेलवे लाइनों जैसे क्षेत्रों को खुले में जाना पड़ता है। महिलाऐं ही अस्वच्छता की स्थिति का शिकार बनती हैं क्योंकि उन्हें बीमारियों में बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल करनी पड़ती है, धुएं से भरे दड़वों में पकाना होता हैं और अपना पूरा समय कचरा और बहने वाली नालियों के ढेर के बीच बिताना होता है।

सरकार जब न्यूनतम वेतन की गणना करती है तो वह किराए पर खर्च पर कम ध्यान देती है। अध्ययनों से पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में, किराए और संबंधित व्यय कुल आय का लगभग 16% है। यह न्यूनतम है कि फारूख जैसा मजदूर सभी उपयुक्त सुख–सुविधाओं में कटौती करके भुगतान कर रहा है। लेकिन अगर घर में न्यूनतम सुविधाऐं हैं तो यह 25% जितनी अधिक हो सकती है।

स्पष्ट रूप से सरकारें मजदूरों के जीवन के इस पहलू के बारे में पूरी तरह से उदासीन और लापरवाह हैं।

स्वतंत्रता के बाद विभिन्न उद्योगों में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने टाउनशिप बनाए और अपने कर्मचारियों को आवास सुविधाऐं मुहैया कराई। लेकिन नवउदारवादी नीतियों के आगमन के साथ स्थायी मजदूरों की संख्या कम हो गई है और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में ठेका श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ठेका श्रमिकों को आवास सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

मजदूरों और गरीबों के लिए आवास की गंभीर समस्या को हल करने के कदम उठाने के बजाय, शासक वर्ग के दलों ने चुनावों से पहले गरीबों के लिए दो बिस्तर वाले कमरों के घरों का वादा करने और सत्ता में आने के बाद इसके कार्यान्वयन के टालमटोल के जरिए, वोटों को आकर्षित करने के लिए केवल एक 'जुमला' बना दिया है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े जोर–शोर के साथ घोषणा की थी कि प्रत्येक भारतीय परिवार के पास 2022 तक अपना एक घर होगा। उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार 2019 तक 1 करोड़ घर उपलब्ध कराएगी। उन्होंने इस वायदे को पूरा करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रधान मंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) शुरू की। इस सरकार की अन्य योजनाओं की तरह ही, यह भी पहले से ही मौजूदा योजना, इंदिरा आवास योजना का एक संशोधित संस्करण था। संसदीय चुनावों के तेजी से नजदीक आने के मद्देनजर, सरकार गरीबों को आवास प्रदान करने में अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए विज्ञापनों पर जनता के सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन, वास्तविकता क्या है?

अभी तक लगभग एक करोड़ घरों के आधे से भी कम लक्ष्य अर्थात् 95.4 लाख में से केवल 41 लाख को ही पूरा किया गया है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पेश किए गए नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक है जो पी.एम.ए.वाई.के ग्रामीण घटक को संभाल रहा है। यह पिछले तीन वर्षों के दौरान (2015–16 से 2017–18 तक) 9 1,710 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद है।

पी.एम.ए.वाई. का शहरी घटक मुख्य रूप से भूमि और आवास के लिए निजी बिल्डरों और डेवलपर्स में पीपीपी मोड के लिए लक्षित है। यह और भी बदतर है। इस साल मार्च में लोकसभा में आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा दिए गए एक उत्तर के अनुसार, अभी तक केवल 2.1 लाख इकाइयां मंजूर की गई हैं, जिनमें से 67,000 पूर्ण हो चुकी हैं और 43,574 मालिकों द्वारा कब्जा लिया गया है। शहरी क्षेत्रों में ही

आवास की कमी अनुमानतः एक करोड़ है। इसलिए, मोदी की 'उपलब्धियाँ' नगण्य ही हैं। शहरी घटक (पी. एम.ए.वाई.–यू.) के लिए सरकार ने 4355.3 करोड़ रूपये मंजूर किए गए लेकिन इसने केवल 1664.46 करोड़ रुपये जारी किए जिनमें से केवल 1250.08 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया गया है।

पी.एम.ए.वाई.–शहरी के लिए फंड आवंटन ही बहुत कम है क्योंकि मुख्य रूप से अन्य सभी भव्य पीपीपी मॉडलों की तरह ही, यह निजी संस्थाओं जो कि जरूरतमंद नागरिकों की मदद के बजाय तेजी से लाभ कमाने की तलाश में होते हैं, को आकर्षित करने में असफल रहा है । लेकिन निजी क्षेत्र को शामिल करने की सरकार की जिद का मतलब है कि शहरी गरीबों को झौंपड़ों में ही रहना पड़ेगा।

श्रमिकों के लिए कितना अच्छा, किफायती आवास प्रदान किया जा सकता है इसका एक उदाहरण सोलापुर वर्कर्स कॉओपरेटिव का अनुभव है। सीटू के नेतृत्व में, बीडी मजदूरों ने 1992 से सरकार की आवासीय योजना के लिए एक लंबा संघर्ष किया जिसमें एक तिहाई का भुगतान मजदूरों ने, एक तिहाई राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार को एक तिहाई का भुगतान करना है। 50 वर्ग मीटर के भूखंडों पर 15000 से अधिक घर पहले से ही बनाए जा चुके हैं और 10,000 अन्य का निर्माण किया जा रहा है। पक्की गलियाँ, पानी और बिजली, पास में ही स्कूलों एवं डिस्पेन्सरीज और शहर से जोड़ने वाली एक बस सेवा है। सोलापुर में मलिन बस्तियों में रहने वाले बीड़ी मजदूरों को इस टाउनशिप में एक स्वस्थ माहौल में एक नया जीवन मिला है।

सरकार को यह निर्धारित करने के लिए नीतिगत कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है कि उद्योगपति या तो यह सुनिश्चित करे कि वे टाउनशिप बनाकर मजदूरों को आवास मुहैया कराऐं, या मासिक वेतन के साथ आवास किराया भत्ते का भुगतान करें। यह निजी क्षेत्र के साथ मिलकर घरों के निर्माण के बजाय सभी को आवास प्राप्त करने में मदद करेगा।

लेकिन नवउदारवादी नीतियों के लिए प्रतिबद्ध सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा इत्यादि सहित गरीबों के कल्याणकारी उपायों पर बजटीय आवंटन को कम कर रही हैं। वे मालिकान के मुनाफे में वृद्धि को सूनिश्चित करने के लिए, श्रम कानूनों में संशोधन करके मजदूरों के मूलभूत अधिकारों पर हमला करके मजदूरों को दास प्रथा वाले हालातों में धकेलने पर उतारु हैं। क्या हम ऐसी सरकारों से यह उम्मीद कर सकते हैं कि मजदूरों और गरीबों को उचित आवास सुनिश्चित करने के उपाय करेंगी? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वे निजी मालिकान को टाउनशिप बनाने और अपने कर्मचारियों को बेहतर आवास सुनिश्चित करने के लिए मजबूर करेंगी? ऐसी उम्मीदें केवल धोखा ही होगा।

सिर्फ कॉरपोरेट समर्थक नवउदारवादी नीतियों को परास्त करना और उलटना ही मजदूरों की आवास जैसी बुनियादी माँग हासिल करने के मार्ग को प्रशस्त करेगा। 5 सितंबर 2018 को 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' मजदूर–विरोधी, गरीब–विरोधी नवउदारवादी व्यवस्था के उलटने की माँग करने के लिए है। वैकल्पिक जन–समर्थक नीतियों की माँग करने के लिए है जो सभी मजदूरों को सभ्य और सम्मानित जीवन सुनिश्चित करती हैं।

एकजुट हों! संघर्ष करो!

- *0.01 प्रतिशत के लिए काम करने वाली सरकारों के विरुद्ध*
- *99.9 प्रतिशत के फायदे की नीतियों के लिए*